"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 55] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 जनवरी 2014— माघ 11, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-15/2014/वाक/पांच (06). — छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारियों के वर्ग को कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक एवं कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट प्रतिबंध एवं शर्तों के अध्यधीन राजपत्र में प्रकाशन दिनांक की प्रभावशीलता से उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :-

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	व्यापारियों के वर्ग (2)	छूट की सीमा (3)	प्रतिबंध एवं शर्तें, जिनके अध्यधीन छूट प्रदान की गई है (4)
1.	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन पंजीकृत ऐसे व्यापारी जिनके द्वारा संकर्म संविदा के निष्पादन के मार्फत माल का प्रदाय मुख्य ठेकेदार द्वारा उन्हें आवंटित उप-ठेका (sub-contract) के अंतर्गत किया जाय.	संपूर्ण कर	जबकि मुख्य ठेकेदार द्वारा देय कर बदले में प्रशमन के माध्यम से एकमुश्त भुगतान हेतु प्रारूप 5-क में उस मुख्य ठेके के लिये अनुमति प्राप्त कर ली गई हो, जिसमें से कालम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारी को उप-ठेका आवंटित किया हो और कर के बदले कंपोजिशन के रूप में एकमुश्त भुगतान कर दिया है/कर देगा तथा नीचे दिये गये प्रारूप में घोषणा-पत्र दे देता है.

घोषणा

मैं .... छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र क्रमांक .... का धारक व्यापारी, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैंने संकर्म संविदा रु. .... (विवरण संकर्म संविदा का) हेतु कर के बदले प्रशमन के रूप में एकमुश्त भुगतान करने हेतु अनुज्ञा प्राप्त की है, जिसमें से मैंने रु. .... का उप-ठेका श्री .... पंजीयन क्रमांक .... को आवंटित किया है.

मैं यह और घोषित करता हूं कि संपूर्ण संविदा राशि पर देय कर के बदले एकमुश्त राशि का भुगतान कर दिया है/कर दूंगा.

संलग्न :-

हस्ताक्षर

मुख्य ठेकेदार का नाम ....

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2014

क्रमांक एफ-10-15/2014/वाक/पांच (06). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-15/2014/वाक/पांच (06), दिनांक 30-01-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 30th January 2014

NOTIFICATION

No. F-10-15/2014/CT/V (06). — In exercise of the powers conferred by section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby exempts the class of dealers specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Act to the extent specified in column (3), subject to the restriction and conditions specified in Column (4) with effect from the date of publication in official gazette :-

SCHEDULE

S. No.	Class of Dealer	Extent of exemption	Restriction and conditions subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dealer registered under Chhattisgarh Value Added Tax Act 2005, who carries on the business of suppling goods in execution of works	Whole of tax	When the principal cotractor has obtained permission in form 5-A to make lump sum payment in lieu of tax by way of composition in respect of the main contract out of which sub contract

(1)	(2)	(3)	(4)
	contracts, under a sub contract awarded to him by principal (main) contractor.		is awarded to the dealer specified in column (2) and has paid/shall pay the lump sum in lieu of tax and gives a declaration in form given below.

Declaration

I .... a dealer holding registration certificate No. .... under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 hereby declare that I have obtained permission (form 5-A enclosed) to make lump sum payment, in lieu of tax payable, for supply of goods in execution of works contract for .... (herein give particulars of the contract) out of which I have awarded a sub contract to shri .... R. C. No. .... for Rs. ....

I further declare that I have paid/will pay the lump sum, in lieu of tax payable, on the full value of contract.

Enc. :-

Signature
Name of the Principal contractor

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.